

7/8/19

पत्रावली पेरा है। वकील इन पर उपस्थित।
मात्रले में इन पर भी कदम डाली जाए।
मात्रला एक बार न्यायालय हाजा से रिमंड
होकर कमीशन न्यायालय को पुनः भिजाया है।
निर्देशा क्रमांक सिवाय। तदनुसार ही निर्दिष्ट
दि. 28-6-17 को उक्त ही इन पर हुक्म
वही हुक्म ही जारी पेरा है। इन पर
के उपस्थित पत्रालय को सम्पादित की जाए।



P.T.O

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

अपील 62/2013 श्रीगणेश बजाज श्रीवास्तव

प्रदान रास्ता में अपील का टाका का रहा है।
 बाद सप्लाई अपील पर रास्ता देने हेतु राजी
 रहा। उनके बाद बने में से प्राप्ति द्वारा अपने आवेदन-
 पत्र में दार्शनिक परिशिष्ट के अनुसार रास्ता देना
 स्वीकार किया परन्तु वहाँ स्थित हुए तथा एक अलाफर
 को छोड़ते हुए रास्ता देने का निर्देश किया। उनके कहे
 अनुसार हलका परवारी, सिधासवा हरिनाथ से मोका दिवनाका
 नदवारा रास्ता नकशे में दार्शनिक का कंगवाना जमा जिसे
 'परिशिष्ट के' के रूप में रिपोर्ट पर रखा गया है। (5
 परिशिष्ट के' में क्र. नं. 465 के कीचोकीप न्यूनतम
 पूरी वाला हुए को छोड़ते हुए उगटका-याँडाई का
 न्यून रकबा 03 बिस्वा का A से B दिना जाना
 अपील अपील तथा इतरदला सं 2 रामकिशन (विपरीत
 सं 2) ने स्वीकार कर अपने एकाका विपरीत अपील
 द्वारा अपनी रजामरी से प्राप्ति को इकरातुना रास्ता
 दिने जाने की स्वीकार से विवाद का शमन हो जाता है इस
 प्रकार को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अपील की अपील दार्शनिक रूप से
 उक्त रजामरी / सहमत के अनुसार में स्वीकार की जाकर
 अपील निर्णय दिनांक 28-6-2015, जॉ SDO गुडामालगी
 द्वारा राजमरी के सं 2/2013 के अनुसार श्रीगणेश
 बजाज श्रीवास्तव में प्राप्ति किया की अपात्र कर संलग्न
 परिशिष्ट के' के युवाकेक उक्ति रास्ता प्रदान दिने जाने
 के अर्थ दिने जाते हैं। अपीलकर्ता गुडामालगी प्रदान
 रास्ते के रकबे के अनुसार ही निम्नानुसार प्राप्ति से इ.
 10,140 = मुद्राज राशी प्राप्त कर युवाक अपील को करके (अनु
 सरी सह-कारियों के हितों के अनुपात में हिसाब राशी व
 करों पर उनके साथ) राजमरी रिपोर्ट में रास्ते का इतर
 दारा कर पालना पहावे। परिशिष्ट के' के निर्णय/
 आदेश का अन्तिम अंग रहेगा।

निर्णय को एलाफर पुताला जज।

पत्रवाली को भुला होकर नोट से अप है।
बाद तकनीक दाखिल दस्ता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
वाडमेर




तहसील
 क्षेत्र - पादरडी खुर्द
 पैमाना 9" = 1000 फुट
 वल्ली - गुडामालानी

राजस्व मपील प्राधिकारी बाइमेर
 मपील सं. 62/2017 बमननाग
 छोगाराम बनाम भीमाराम
 22.5.17 निर्णय दिनांक 08/01/17

नम्बर
 अहकार
 म
 जा

र. 10- बाइमेर के दूरभाष पर दिये गये मौखिक निर्देश की पालना
 न बनाया गया और शुभकित रास्ता का नजदी नकशा



अपीलाण्ट :-

- प्रधानित और मु. रास्ता
- प्रधानित रास्ते की
- कर्ज 3 गज
- प्रधानित रास्ते का
- रकबा = 0-03 बीघा

पहचानकारी

छोगाराम पुत्र समरथाराम

पं. सिधाएक. हरनिमान
 निवासी पादरडी खुर्द तहसील गुडामालानी



अ.मि. छोगाराम

रामकिसन
 बनाम



मांगीलाल

उत्तरदातागण :-

परिशिष्ट 'अ'

- (1) भीमाराम पुत्र सुंदराम अडखार
- (2) बाबुलाल पुत्र सुंदराम
- (3) देवाराम पुत्र समरथाराम
- (4) नारायण पुत्र देवाराम
- (5) रामकिसन पुत्र भारथाराम

अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्त अडखार
 रेस्पोंडेंट। प्राधिकारी को रास्ता A से
 B तक दिम जाने की सहमति उद्यम
 कर अपने हस्ताक्षर अडखार
 निशानात किया है।

22/5/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाइमेर
 निवासी पादरडी खुर्द तहसील गुडामालानी